न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या– 34/24

तारीख रज्जू–14/11/24

1 मुकेश कुमार पुत्र स्व0 हरिराम रैगर निवासी ग्राम अरनिया तहसील गंगापुर सिटी हाल निवासी 42 सोनिया गॉधी केम्प सेक्टर 7, आर के पुरम नई दिल्ली।
2 सोनू पुत्र स्व0 हरिराम निवासी ग्राम अरनिया तह0 गंगापुर सिटी हाल निवासी 41/229 सोनिया गॉधी केम्प, सेक्टर 7, आर.के.पुरम नई दिल्ली।
3 विनोद पुत्र स्व0 हरिराम निवासी ग्राम अरनिया तह0 गंगापुर सिटी हाल निवासी 41/229 सोनिया गॉधी केम्प, सेक्टर 7, आर.के.पुरम नई दिल्ली।
4 ममता पुत्री स्व0 हरिराम निवासी ग्राम अरनिया तह0 गंगापुर सिटी हाल निवासी 41/229 सोनिया गॉधी केम्प, सेक्टर 7, आर.के.पुरम नई दिल्ली।
5 पिंकी पुत्री स्व0 हरिराम निवासी ग्राम अरनिया तह0 गंगापुर सिटी हाल निवासी 41/229 सोनिया गॉधी केम्प, सेक्टर 7, आर.के.पुरम नई दिल्ली।
6 सीमा पुत्री स्व0 हरिराम निवासी ग्राम अरनिया तह0 गंगापुर सिटी हाल निवासी 41/229 सोनिया गॉधी केम्प, सेक्टर 7, आर.के.पुरम नई दिल्ली।
7 कान्ता पत्नि स्व0 हरिराम निवासी ग्राम अरनिया तह0 गंगापुर सिटी हाल निवासी 41/229 सोनिया गॉधी केम्प, सेक्टर 7, आर.के.पुरम नई दिल्ली। ——अपीलान्ट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी।
2. राजेन्द्र रैगर पुत्र रामप्रसाद रैगर , निवासी ग्राम अरनिया तहसील गंगापुर सिटी।

—— रेस्पोडेन्टान

निर्णय दिनांक– 17.12.2024

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार गंगापुर सिटी के प्रकरण सं0 01/2024 में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने निर्णय दिनांक 04.09.2024 के द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम अरनियां के खसरा नम्बर 767 के आधे हिस्से, 768 , 827 के सम्पूर्ण हिस्से , 769 के 10 एयर एवं 826 के 2/3 हिस्से में अपीलार्थी के पिता को अतिक्रमी घोषित किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल कर रेस्पोडेन्ट सं0 2 खातेदार को कब्जा संभलाने का आदेश पारित किया है, साथ ही अपीलान्ट ने अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 04.09.2024 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया गया तत्पश्चात् उभय पक्ष की मूल बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर धारा 183 बी आर0टी0एक्ट का प्रकरण मिल अपीलार्थी सं0 1 लगायत 6 के स्व0 पिता एवं अपीलार्थी सं0 7 के स्व0 पति हरिराम में विरूद्ध तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष दर्ज करवाया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार भूमि खं0नं0 767 रकबा 0.38 है0 ,खं0नं0 766

17/12/24

रकबा 0.34है0, खं0नं0 768 रकबा 0.29है0, खं0नं0 769 रकबा 0.77 है0, खं0नं0 770 रकबा 0.01है0, खं0नं0 771 रकबा 0.36है0, खं0नं0 825 रकबा 0.08 है0, खं0नं0 826 रकबा 0.54है0, खं0नं0 827 रकबा 0.25 है0, स्थित ग्राम अरनिया तहसील गंगापुर सिटी राजस्व रिकोर्ड में भरतलाल, कमलेश, सुनील, प्रेमराज, राजेन्द्र पुत्रान रामप्रसाद, प्रभाती पत्नि रामप्रसाद, अनोखी पुत्री रामप्रसाद रैगर के नाम खातेदारी दर्ज है, जिसमें से भूमि खं0नं0 767 के आधे हिस्से, खं0नं0 768 , खं0नं0 825 के सम्पूर्ण हिस्से , खं0नं0 769 के 10 ऐयर एवं ख0नं0 826 के 2/3 हिस्से पर हरिराम पुत्र जगन रैगर निवासी ग्राम अरनिया का कब्जा है, जिसकी मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह भी अंकन किया है कि प्रकरण भूमि के आपसी खरीद बेचान का है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2024 पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड एवं दस्तोवजी साक्ष्य के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी के अनुसार आपसी खरीद बेचान का मामला होना अंकित किया है। स्वयं रेस्पोडेन्ट सं0 2 द्वारा उक्त वाद आरजीयात स्टाम्प कीमती 500/– रू0 पर दिनांक 18.12.2023 को मिन अपीलार्थी सं0 1 लगायत 6 के पिता व रेस्पोडेन्ट सं0 7 के पति स्वर्गीय हरिराम के पक्ष में इकरारनामा निष्पादित किया है तथा दिनांक 16.09.2023 को पंच पटेलों के समक्ष उभय पक्षों की सहमति पर फैसला लिया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा अतिक्रमी के रूप में नहीं होकर सहमतिपूर्ण एवं विधिपूर्ण प्रकृति का कब्जा था। जबकि धारा 183 बी आर0टी0एक्ट के प्रावधान " बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा किए जाने का अंकन करते है और अवैध कब्जे के आधार पर ही अतिक्रमी को बेकब्जा किए जाने का प्रावधान वर्णित है,साथ ही वकील अपीलार्थी ने उक्त अपील स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2024 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त वाद आरजीयात रेस्पो0 सं0 2 की खातेदारी भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी के पिता द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 18.12.2023 पर प्रार्थी एवं उसके परिजनों पर तेजराम पोसवाल हैड कांस्टेबल थाना सदर द्वारा जबरन पकड़ कर अनावश्यक दबाब डालकर हस्ताक्षर करवाये गये है। जिसकी शिकायत रेस्पोडेन्ट सं0 2 द्वारा राजस्थान सम्पर्क पॉर्टल पर भी की गई है तथा वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन की सहमति में राजस्थान सम्पर्क पॉर्टल पर दर्ज शिकायत की प्रति प्रस्तुत की है, साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस यह भी तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट सं0 2 द्वारा उक्त वाद आरजीयात का किसी बेचान नहीं किया है, अपीलार्थी के पिता द्वारा पुलिस से दबाब डलवाकर रेस्पोडेन्ट सं0 2 के हस्ताक्षर करवाये है, साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2024 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई ,उस पर मनन किया गया व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि स्टाम्प कीमती 500/– रू0 पर दिनांक 18.12.2023 को मिन अपीलार्थी सं0 1 लागायत 6 के पिता व अपीलार्थी सं0 7 के पति के पक्ष में इकरारनामा निष्पादित किया जा चुका है। जिसे रेस्पोडेन्ट सं0 2 के अधिवक्ता द्वारा उक्त इकरारनामा पर पुलिस के दबाब में हस्ताक्षर करना अवगत कराया है। उक्त इकरारनामा का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम उक्त इकरारनामा पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीकृत नहीं होना पाया गया तथा उक्त इकरारनामा के तहत रूपयों का भुगतान करने पर रजिस्ट्री करवाना अंकित किया हुआ है। जबकि अपीलार्थी पक्ष द्वारा उक्त इकरारनामा के अनुसार रूपयों के भुगतान संबंधित कोई दस्तावेज/साक्ष्य/राजस्व अभिलेख न्यायालयहाजा में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है एवं उक्त इकरारनामा पंजीयन

17/12/24

अधिकारी द्वारा पंजीकृत नहीं होने के कारण अपीलार्थी का उक्त वाद आराजीयात विधिपूर्ण कब्जा होना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त वाद आराजीयात राजस्व अभिलेख के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं0 2 की खातेदारी भूमि है तथा रेस्पोडेन्ट सं0 2 के पक्ष में तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2024 में अपीलान्ट कोई भी विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि सिद्ध करने में असमर्थ रहा है।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/12/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी